न्यायालयः—उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर जिला—सलूम्बर (राज.)

बजरिये श्री पर्वत सिंह चूण्डावत आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 13/2024

जी.सी.एम.एस नम्बर—2023/89

उनवान

श्री वाला मुतबना रूपा डांगी उम्र बालिग वर्ष, निवासी वेश्मा, तह. सलुम्बर, जिला सलूम्बर (राज)

—वादी

विरूद्ध

1. श्रीमान भूमिधारी तहसीलदार साहब, तहसील सलुम्बर, जिला सलूम्बर (राज.)
2. श्री हीरालाल पिता धुला दादा पेमा परदादा पुंजा, जाति डांगी, उम्र बालिग, निवासी वेश्मा, तह, सलुम्बर, जिला सलूम्बर (राज.)
3. श्रीमती वेलु पुत्री धुला दादा पेमा, परदादा पुंजा, जाति डांगी, उम्र बालिग, निवासी वेश्मा, तह. सलुम्बर, जिला सलूम्बर (राज.) हाल पत्नि श्री वेलजी पटेल निवासी नोखली, तह. सलुम्बर, जिला सलूम्बर (राज.)
4. श्री वेला पिता पेमा दादा पुंजा, जाति डांगी, उम्र बालिग, निवासी वेश्मा, तह. सलुम्बर, जिला सलूम्बर (राज.)
5. श्रीमती कंकु पुत्री स्व. कचरा दादा पुजा, जाति डांगी, उम्र बालिग, निवासी वेश्मा, तह. सलुम्बर, जिला सलूम्बर (राज.) हाल पत्नि श्री नाथु पटेल वडावला, निवासी नावडा, तह सराडा, जिला सलूम्बर (राज.)
6. श्रीमती गंगा पुत्री स्व. कचरा दादा पुंजा, जाति डांगी, उम्र बालिग, निवासी वेश्मा, तह सलुम्बर, जिला सलूम्बर (राज.) हाल पत्नि भेराजी पटेल, निवासी बनोडा, तह. सलुम्बर, जिला सलूम्बर (राज.)
7. श्रीमती धापु पुत्री स्व. कचरा दादा पुंजा, जाति डांगी, उम्र बालिग, निवासी वेश्मा, तह. सलुम्बर, जिला सलूम्बर (राज.) हाल पत्नि श्री कानजी पटेल कानावत, निवासी सुरखण्ड खेडा, तह. सेमारी, जिला सलूम्बर (राज.)
8. श्रीमती मोती पुत्री स्व कचरा दादा पुंजा, जाति डांगी हमलावत, उम्र बालिग, निवासी वेश्मा, तह. सलुम्बर, जिला सलूम्बर (राज.) हाल पत्नि श्री हीरजी पटेल, निवासी बनोडा, तह. सलुम्बर, जिला सलूम्बर (राज.)
9. श्री कालु पिता स्व. गोता दादा पुंजा जाति डांगी, उम्र बालिग, निवासी वेश्मा, तह. सलुम्बर, जिला सलूम्बर (राज.)
10. श्रीमती भुरी पुत्री स्व. गोता दादा पुंजा, जाति डांगी, उम्र बालिग, निवासी वेश्मा, तह. सलुम्बर, जिला सलूम्बर (राज.) हाल पत्नि श्री पेमजी पटेल, निवासी करोडिया, तह. सराडा, जिला सलूम्बर (राज.)
11. श्री जितेन्द्र कुमार पिता स्व. गोवना दादा लाला परदादा पुंजा,. जाति डांगी, उम्र नाबालिग, जरिये कुदरती चली माता संरक्षक श्रीमती मोती देवी पत्नि स्व. गोवना जाति डांगी, उम्र बालिग, निवासी वेश्मा, तह. सलुम्बर, जिला सलूम्बर (राज.)
12. श्रीमती मोती देवी पत्नि स्व. गोवना ससुर लाला दादा ससुर पुंजा, जाति डांगी, उम्र बालिग, निवासी वेश्मा, तह. सलुम्बर, जिला सलूम्बर (राज.)
13. श्री हीरा पिता पुंजा, जाति डांगी, उम्र बालिग, निवासी वेश्मा, तह. सलुम्बर, जिला सलूम्बर (राज.)

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

— प्रतिवादीगण

वाद बाबत् इन्द्राज दुरस्ती अन्तर्गत धारा ;136 भू–राजस्व अधिनियम

–::निर्णय::–

दिनांक : 22/01/25

उपस्थितिः श्री सुनील कुमार चंचावत अधिवक्ता – प्रार्थीगण
विपक्षी सं. 2 लगायत 13– एकपक्षीय
पेरोकार सरकार भूमिधारी तहसीलदार सलूम्बर उपस्थिति

वादी ने वाद इन्द्राज दुरस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम का पेश कर अंकित किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 13 तक एक ही खानदान के होकर उनके परिवार का सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 1 अनुसार है। मुल पुरूष भाणाजी थे जिनकी मृत्यु हो चुकी है। भाणा जी के दो पुत्र रूपा व पुंजा थे, जिनकी भी मृत्यु हो चुकी है। स्व. भाणा जी के पहले पुत्र स्व. रूपा जी के कोई सन्तान नहीं होने से उन्होंने अपने स्व. भाई पुंजा के 6 छः पुत्रों में से पांचवे नम्बर के पुत्र श्री वाला प्राकृतिक पिता पुंजा को दिनांक 07–01–1971 को रजिस्टर्ड गोदनामा दिनांक 20–02–1971 के जरिये गोद रखा था ज़ो इस वाद पत्र में वादी है। स्व. भाणा जी के दुसरे नम्बर के पुत्र पुंजाजी थे जिनकी भी मृत्यु हो चुकी है। पुंजाजी के कुल 6 छः पुत्र थे जिनमें से सबसे बडे पेमा थे जिनकी भी मृत्यु हो चुकी है। स्व. पेमाजी के तीन पुत्र थे जिसमें सबसे बडे धुलाजी थे जिनकी भी मृत्यु हो चुकी है, स्व. धुला जी के एक पुत्र व एक पुत्री है। पुत्र श्री हिरालाल है जो प्रतिवादी नं. 02 है एवं पुत्री श्रीमती वेलु है जो प्रतिवादी नं. 3 है। स्व. पेमा जी के दुसरे पुत्र श्री वेला है जो प्रतिवादी नं. 04 है। स्व. पेमा जी के तीसरे पुत्र श्री दला जिनके नाम पर कोई भूमि नहीं है। स्व. पुंजा जी के दुसरे पुत्र कचरा जी थे जिनकी मृत्यु हो चुकी है एवं स्व. कचरा जी की पत्नि श्रीमती वाली बाई थी जिनकी भी मृत्यु हो चुकी है एवं स्व. कचरा जी के 4 चार पुत्रीयां है जिनमें से प्रथम पुत्री कंकु है जो प्रतिवादी सं. 05 है। द्वितीय पुत्री श्रीमती गंगा है जो प्रतिवादी सं. 06 है, तृतीय पुत्री श्रीमती धापु है जो प्रतिवादी सं. 07 है एवं चौथी पुत्री श्रीमती मोती है जो प्रतिवादी सं. 08 है। स्व. पुंजा जी के तीसरे पुत्र गोता थे जिनकी मृत्यु हो चुकी है जिनके वारिसान पत्नि श्रीमती नाथी बाई, पुत्र श्री कालु एवं पुत्री श्रीमती भुरी है, इनमें से श्रीमती नाथीबाई की भी मृत्यु हो चुकी है। पुत्र श्री कालु है जो प्रतिवादी सं. 09 है एवं पुत्री श्रीमती भुरी है जो प्रतिवादी सं. 10 है। स्व. पुंजा जी के चौथे पुत्र श्री लाला थे जिनकी मृत्यु हो चुकी है जिनके वारिशान पुत्र श्री गोवना थे जिनकी भी मृत्यु हो चुकी है। स्व. गोवना के वारिसान पुत्र श्री जितेन्द्र कुमार है जो प्रतिवादी सं. 11 है एवं स्व. गोवना की पत्नि श्रीमती मोती देवी है जो प्रतिवादी सं. 12 है। स्व. पुंजा जी के पांचवे पुत्र श्री वाला है जो दिनांक 07–01–1971 को रजिस्टर्ड गोदनामा दिनांक 20–02–1971 के द्वारा स्व. रूपा पिता भाणा के गोद चला गया जो इस वाद पत्र में वादी है। स्व. पुंजा जी के छठे पुत्र हीरा है जो प्रतिवादी सं. 13 है।

ग्राम वेश्मा पटवार क्षेत्र देवगांव हाल धारोद तहसील सलुम्बर जिला सलूम्बर (राज.) में वादी के गोदी पिता स्व. रूपा पिता भाणा के नाम की ;कृषि भूमि आराजी न. 124/1 रकबा 18 बीघा 13 बिस्वा अठारह बिघा तेरह बिस्वा भूमि स्थित है जो जमाबन्दी संवत 2037 से 2040 तक में खाता सं. पुराना 83 नया 86 पर वादी के गोदी पिता रूपा पिता भाणा के नाम पर दर्ज होकर विरासत से नामान्तरकरण सं. 128 दिनांक 01–02–1983 के द्वारा वादी के नाम अलग खाते दर्ज हुई थी एवं आराजी नं. 124/2 रकबा 18 बीघा 13 बिस्वा अठारह बिघा तेरह बिस्वा प्रतिवादीगण सं. 2 से 13 तक के पिता व दादा व परदादा के नाम पर संयुक्त रूप से जमाबन्दी सं. 2037 से 2040 तक खाता सं. पुराना 55 नया 58 पर 1/5–1/5 हिस्से से अलग खाते दर्ज थी।

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

वक्त पैमाईश उक्त क्रम सं. 2 दो में वर्णित वादी एवं प्रतिवादीगण की कृषि भूमि आराजी नं. 124/1 रकबा 18 बीघा 13 बिस्वा एवं आराजी नं. 124/2 रकबा 18 बीघा 13 बिस्वा को सेटलमेन्ट विभाग ने दो अलग अलग खातों को शामिल बताकर दोनों खातों की आराजीयात को पुरानी आराजी नं. 124 मीन से बनना बताकर नयी पैमाईश में वादी एवं प्रतिवादीगण दोनों के खातों को शामिल कर दिया एवं वादी के पुरे हिस्से की भूमि को एवं वादी के गोदी पिता रूपा के बजाय प्राकृतिक पिता पुंजा का पुत्र बताकर प्रतिवादीगण के शामिल कर राजस्व रिकार्ड में वादी का 1/6 हिस्सा अंकित कर दिया जो क़रने का सेटलमेन्ट विभाग को कानून में कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। सेटलमेन्ट विभाग द्वारा वादी एवं प्रतिवादीगण के खातों को शामिल करके साबिक आराजी नं. 124 मीन के नये आराजी नम्बर/रकबा 1290/3.0800, 1291/3.7700, 294/0.2900, 295/0.1600 कुल किता 04 कुल रकबा 8.0200 हैक्टेयर बना दिये है।

उक्त वाद पत्र की कलम संख्या 3 में वर्णित कृषि भूमि के 1/2 हिस्से के मालिक खातेदार व काबिज वादी अकेला है एवं 1/2 हिस्से के मालिक खातेदार व काबिज प्रतिवादीगण सं. 2 दो से 13 तेरह तक है यानिकि रकबा 4.01 हैक्टेयर चार दशमलव जीरो एक हैक्टेयर भूमि के मालिक खातेदार काबिज वादी है एवं रकबा 4.01 हैक्टेयर भूमि के मालिक खातेदार एवं काबिज प्रतिवादीगण सं. 2 से 13 तक है एवं इन्हीं हिस्सो के अनुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरस्ती कर वादी के हिस्से की रकबा 4.01 हैक्टर चार दशमलव एक हेक्टर भूमि वादी के खाते अलग दर्ज किया जाना एवं वादी के गोदी पिता रूपा के बजाय दर्ज प्राकृतिक पिता पुंजा के नाम को भी राजस्व रिकार्ड में दुरस्ती कर वादी का नाम वाला मुतबना (गोदी पिता) रूपा अंकित किया जाना आवश्यक है एवं प्रतिवादीगण सं. 2 से 13 तक के 1/2 हिस्से की 4.01 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादीगण संख्या 2 से 13 तक के अलग खाते दर्ज किया जाना आवश्यक है। उक्त राजस्व रिकार्ड में गडबडी की जानकारी वादी को दिनांक 01–01–2021 को लगते ही वादी ने प्रतिवादीगण को रिकार्ड में दुरस्ती कराने को कहा तो प्रतिवादीगण मानने को तैयार नहीं हुवे एवं लम्बे समय तक टालमटोल करते रहे उल्टा वादी को उसके हिस्से की भूमि पर जबरन कब्जा करने की धमकिया देने लगे जिससे वादी को मजबुर होकर प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह ईन्द्राज दुरस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत करना पड रहा है। अतः प्रार्थना है कि –

(क) कि वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित करायी जावे कि मौझा वेश्मा मे स्थित वाद पत्र की कलम संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि में इन्द्राज दुरस्ती कर वादी के नाम दर्ज 1/6 हिस्से के बजाय 1/2 हिस्से की 4.01 हेक्टर भूमि वादी के अकेले के अलग ख़ाते में दर्ज कर राजस्व रिकार्ड में ईन्दाज दुरस्ती कर वादी के खाते अलग दर्ज की जावे एवं वादी के गोदी पिता रूपा के बजाय दर्ज वादी के प्राकृतिक पिता पुंजा के नाम को भी राजस्व रिकार्ड में दुरस्त कर वादी का नाम वाला मुतबना (गोदी पिता) रूपा अंकित किया जावे।

(ख) कि वर्तमान में वादी नयी आराजी नम्बर 1290 रकबा 3.80 हैक्टेयर तीन दशमलव अस्सी हैक्टेयर भूमि एवं शेष रकबा 0.21 हैक्टेयर जीरो दशमलव इक्कीस हेक्टर भूमि आराजी नं. 1291 पर काबिज है उसका उपयोग व उपभोग करता चला आ रहा है एवं उसके कब्जे अनुसार ही आराजी नं. 1290 रकबा 3.80 हैक्टेयर तीन दशमलव अस्सी हैक्टेयर भूमि पुरी एवं आराजी नं. 1291 रकबा 3.77 हेक्टर भूमि में से रकबा 0.21 हेक्टर जीरो दशमलव इक्कीस हेक्टर भूमि इस प्रकार कुल रकबा 4.01 हेक्टर चार दशमलव एक हेक्टर भूमि वादी के अलग खाते दर्ज की जावे।

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

(ग) कि ईन्द्राज दुरस्ती के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम दर्ज कृषि भूमि हेतु इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि वादी की उक्त भूमि पर वादी के शान्तिपूर्वक कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करें एवं न ही उक्त कार्य अपने परिजनों, मजदुरों नौकरो आदि से करावे।

वादपत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 से 13 तक के गैर हाजिर रहने से आदेशिका दिनांक 13–12–2023 को प्रतिवादी संख्या 2 से 13 तक के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

प्रतिवादी सं. 1 पेरोकार सरकार तहसीलदार सलूम्बर हाजिर आये जिन्होने बाद जांच रिपोर्ट पेश कर अंकित किया कि– मुल पुरुष भाणा जी थे जिनके दो पुत्र रूपा व पुजा थे। सेटलमेंट पुर्व ग्राम वेश्मा पटवार हल्का देवगाम हाल धारोद की जमाबंदी सवत 2037–40 के खा.स. 86 से कुल किता 26 रकबा 41 बीघा भूमि श्री रूपा रिता भाणा डांगी खाता संख्या 58 से कुल किता 10 रकबा 29 बिघा 2 बिस्वा भूमि पेमा, कचरा, गोता, लाला, हीरा पिता पुंजा डांगी के नाम दर्ज रिकार्ड थी । रूपा पिता भाणा डांगी के कोई संतान नहीं होने की वजह से उन्होने अपने भाई पुंजा के पुत्र वाला (वादी) को रजिस्टर्ड गोदनामा दिनांक–20–02–1971 के द्ववारा अपने गोद रखा था। संलग्न रजिस्टर्ड गोदनामा दिनाक 20.02.1971 से नामांतरण सख्या 128 से रूपा पिता भाणा डांगी की सम्पुर्ण भूमि वाला मुतबना रूपा डांगी के नाम दर्ज हुई। जमाबंदी संवत 2037–40 मे गोदनामा का दाखिला दर्ज रिकार्ड है।

सेटलमेंट के दोरान खाता संख्या 86 का साबिक आ.न. १२४/१ रकबा 18 बीघा 13 बिस्वा व खाता सख्या 58 के साबिक आन १२४/२ रकबा 18 बीचा 13 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 37 बीघा 6 बिस्वा को मिलाकर सेटलमेंट में साबिक आ.ना 124 से तीन आ.नं. 1290/3.80, 1291/3.77, 294/0.29, 295/0.16 कुल किता 4 रकबा 8.02 हैक्टेयर बना व पुंजा के सभी वारिसानो के त्रुटिवश बराबर दर्ज हो गया व अन्य भूमि विधिवत खतेदारों के दर्ज हुई। अतः भू.अ.नि. सलूम्बर व प.ह धारोद की जांच रिपार्ट व संलग्न दस्तावेज अनुसार मौजा वेश्मा प.ह.धारोद की जमाबंदी सवत 2075–78 के खाता संख्या 82 कुल किता 4 रकबा 8.02 हैक्टेयर भूमि मे वादी (वाला मुतबना रूपा डांगी) का हिस्सा 1/2 व नाम वाला पिता पुंजा के बजाय वाला मुतबना रूपा दर्ज किया जाना उचित है व शेष 1/2 हिस्सा पुंजा के वारीसान ((वेला पिता पेमा 1/15, हीरालाल वेलु पिता धुला 1/30) (कंकु गंगा धापु मोती पिता कचरा 1/10), (कालु 1/15 मुरी 1/30 पिता गोता) (जितेन्द्र कुमार पिता गोवना मोती देवी पत्नी गोवना 1/10), (हीरा पिता पुजा 1/10) डांगी) में बराबर दर्ज किया जाना उचित है ।

वकील वादी ने पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेज एवं तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण मे धारा 136 के तहत बहस सुनी जाकर निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। वादी के निवेदन पर पत्रावली मे उभयपक्ष की बहस सुनी। अधिवक्ता वादी ने बहस मे अपने वाद में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए इन्द्राज दुरूस्ती करने का निवेदन किया। पेरोकार सरकार तहसीलदार की बहस अपनी रिपोर्ट अनुसार रही।

बहस मनन की गई। तथा पत्रावली पर उलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। सेटलमेंट पुर्व ग्राम वेश्मा पटवार हल्का देवगाम हाल धारोद की जमाबंदी सवत 2037–40 के खा.स. 86 से कुल किता 26 रकबा 41 बीघा भूमि श्री रूपा पिता भाणा डांगी खाता संख्या 58 से कुल किता 10 रकबा 29 बिघा 2 बिस्वा भूमि पेमा, कचरा, गोता, लाला, हीरा पिता पुंजा डांगी के नाम दर्ज रिकार्ड थी। नामान्तरण संख्या 128 के विशेष विवरण मे श्री रूपा पिता भाणा डांगी फौत के बजाय गोदपुत्र वाला मुतबन्ना रूपा डांगी दर्ज करने कि

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

स्वीकृती का अंकन है। जमाबंदी संवत 2037–40 मे वादी वाला मुतबन्ना रूपा डांगी का दाखिला दर्ज रिकार्ड है।

सेटलमेंट के दोरान खाता संख्या 86 का साबिक आ.न. १२४ / १ रकबा 18 बीघा 13 बिस्वा व खाता सख्या 58 के साबिक आन १२४ / २ रकबा 18 बीचा 13 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 37 बीघा 6 बिस्वा को मिलाकर सेटलमेंट में साबिक आ.ना 124 से तीन आ.नं. 1290 / 3.80, 1291 / 3.77, 294 / 0.29, 295 / 0.16 कुल किता 4 रकबा 8.02 हैक्टेयर बना व पुंजा के सभी वारिसानो के बराबर दर्ज किया है जो रिकॉर्ड अवलोकन से त्रुटिपूर्ण होना जाहिर होता है। जिसकी पुष्टि तहसीलदार रिपोर्ट से होती है। अतः वादी का वाद बाबत् इन्द्राज दुरूस्ती का स्वीकार किया जाना न्यायालय उचित समझता है।

–::आदेश::–

अतः वादी का वाद बाबत् इन्द्राज दुरूस्ती का स्वीकार किया जाकर भू.अ.नि. सलूम्बर पटवार हल्का धारोद की जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 के खाता संख्या 82 कुल किता 04 रकबा 8.02 हैक्टेयर भूमि मे वादी का हिस्सा 1/6 हिस्से के बजाय 1/2 हिस्सा व नाम वाला पिता पुंजा के बजाय वाला मुतबन्ना रूपा दर्ज करने का आदेश दिया जाता है तथा शेष 1/2 हिस्सा पुंजा के वारिसान का रहेगा। जिसमे प्रतिवादीगण के हिस्से निम्नानुसार रहेगे– प्रतिवादी संख्या 4 वेला पिता पेमा हिस्सा 1/15, प्रतिवादी सं. 2 व 3 क्रमशः हीरालाल वेलु पिता धुला का संयुक्त रूप से हिस्सा 1/30, प्रतिवादी संख्या 5, 6, 8 क्रमशः कंकु गंगा धापु मोती पिता कचरा डांगी का संयुक्त रूप से हिस्सा 1/10, प्रतिवादी सं. 9 कालु पिता गोता डांगी 1/15 प्रतिवादी संख्या 10 भुरी पिता गोता डांगी 1/30, प्रतिवादी जितेन्द्र कुमार पिता गोवना मोती देवी पत्नी गोवना संयुक्त रूप से हिस्सा 1/10 प्रतिवादी संख्या 13 हीरा पिता पुंजा डांगी हिस्सा 1/10 रहेगा। अतः आदेशानुसार हाल राजस्व रेकार्ड मे पक्षकारो के सही हिस्से दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड में शुद्धि कर पैमुद करे।

निर्णय की एक प्रति तहसीलदार सलूम्बर को भेजी जाती है कि निर्णय अनुसार हाल राजस्व रिकॉर्ड मे शुद्धि कर पैमुद करे।

निर्णय दिनांक 22/01/25 को सरेइजलास सूनाया गया।
प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(पर्वत सिंह चूण्डावत RAS)
उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर
जिला– सलूम्बर

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर